राजस्व लोक अदालत केम्प पाटोदी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 146/2018

2018/01466

वादीनी :— 1 कैलाशराम पुत्र घेवरराम कुम्हार निवासी सांगरानाडी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. चम्पालाल, बुधाराम, ओमाराम, भीखाराम, जसाराम, चनणाराम पुत्र घेवरराम, हवादेवी पत्नि घेवरराम जाति कुम्हार सा. सांगरानाडी

2. तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः—22.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत पाटोदी में प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि ग्राम सांगरानाडी के खसरा न0 2659/2387, 2363, 2365, 2366, ग्राम नेवाई के ख0न0 455/28 ग्राम भगवानपुरा के ख0न0 3012 में वादी के पिता के फौत होने पर म्यूटेंशन भरते समय वादी का नाम कैलाशराम के स्थान पर केवलराम दर्ज हो गया है, जो अशुद्व नाम है। जबकि सरकारी दस्तावेज मे सही नाम कैलाशराम है। अतः अशुद्व नाम केवलराम की जगह शुद्व नाम कैलाशराम करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, जमाबंदी व पटवारी पाटोदी/ आर.आई पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार सांगरानाडी के खसरा न0 2659/2387, 2363, 2365, 2366, ग्राम नेवाई के ख0न0 455/28 ग्राम भगवानपुरा के ख0न0 3012 में वादी का नाम केवलराम राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में कैलाशराम दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगरानाडी के खसरा न0 2659/2387, 2363, 2365, 2366, ग्राम नेवाई के ख0न0 455/28 ग्राम भगवानपुरा के ख0न0 3012 में तहसीलदार पचपदरा को वादी का नाम केवलराम के स्थान पर कैलाशराम नाम दर्ज करे।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प पाटोदी

Scanned by CamScanner